2020-21 118

Peer Reviewed Referred
and UGC Listed Journal
(Journal No. 40776)

ISSN - 2277 - 5730

An International Multidisciplinary
Quarterly Research Journal

AJANTA

Volume IX, Issue - IV, October - December - 2020
English / Marathi / Hindi Part - I

Impact Factor / Indexing
2019 - 6.399 (www.sjifactor.com)

AJANTA PRAKASHAN

ISSN 2277 - 5730
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY
QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

AJANTA

Volume - IX Issue - IV OCTOBER - DECEMBER - 2020

ENGLISH / MARATHI / HINDI PART - I

Peer Reviewed Referred
and UGC Listed Journal

Journal No. 40776

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

IMPACT FACTOR / INDEXING
2019 - 6.399
www.sjifactor.com

❖ EDITOR ❖
Asst. Prof. Vinay Shankarrao Hatole
M.Sc (Maths), M.B.A. (Mktg.), M.B.A. (H.R.),
M.Drama (Acting), M.Drama (Prod. & Dir.), M.Ed.

❖ PUBLISHED BY ❖

Ajanta Prakashan
Aurangabad. (M.S.)

VOLUME - IX, ISSUE - IV - OCTOBER - DECEMBER - 2020
AJANTA - ISSN 2277 - 5730 - IMPACT FACTOR - 6.399 (www.sjifactor.com)

CONTENTS OF HINDI PART - I

अ.क्र.	लेख आणि लेखकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
१	'आवाँ' उपन्यास में चित्रित नारी जीवन की समस्याएँ **डॉ. रावसाहेब आर. जाधव** **डॉ. मंत्री आर. आडे**	१-५
२	औद्योगिकरण एवं बिगड़ता पर्यावरणीय संतुलन (विशेष संदर्भ : चित्तौड़गढ़(राज.) के उद्योग) **संतोष कुमार धाकड़**	६-१०
३	इक्कीसवीं सदी की हिंदी कविता : नारी-विमर्श का नया दस्तावेज **वीरेश बिसनल्लि ।**	११-१५
४	हिन्दी महिला उपन्यासकारों के उपन्यासों में संवैधानिक मूल्य **डॉ. स्मृति नरेश चौधरी**	१६-२०
५	मानवाधिकार एवं बालक **डॉ. आर. जी. बांबोळे**	२१-२५
६	लोकतंत्र में मिडिया और इंटरनेट कि भूमिका **डॉ. ढोले विजयकुमार शिवदास**	२६-३०
७	गुड़िया को देखते हिंदी साहित्य का भविष्य **डॉ. ढाणकीकर शोभा नारायणराव**	३१-३५
८	'सतह से उठता आदमी' कहानी संग्रह में मुक्तिबोध का भावविश्व **डॉ. एमेकर एन. जी.**	३६-३९
९	समकालीन हिन्दी उपन्यासों से ग्राम विमर्श **डॉ. बाला साहेब सोनवणे**	४०-४५

VOLUME - IX, ISSUE - IV - OCTOBER - DECEMBER - 2020
AJANTA - ISSN 2277 - 5730 - IMPACT FACTOR - 6.399 (www.sjifactor.com)

५. मानवाधिकार एवं बालक

डॉ. आर. जी. बांबोळे
सहयोगी प्राध्यापक, भारतीय महाविद्यालय, मोर्शी, जि. अमरावती.

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, मानव विकास से ही समाज की प्रगति सम्भव है। स्वस्थ समाज का निर्माण तब ही सम्भव है, जब प्रत्येक मनुष्य अपने मूलभूत अधिकारों को प्राप्त कर सके। मनुष्य अपने अधिकारों का प्रयोग तब ही कर सकता है जब वह शिक्षित हो, उसमें अपने अधिकारों की समझे हो और अधिकारों का हनन होने के कारण विरोध करने का साहस हो। सभी मनुष्य को अधिकारों के सन्दर्भ में समझने एवं उनकी रक्षा के लिये सम्पूर्ण मानव जाति को शिक्षित होना ही आवश्यक है। क्योंकि, शिक्षित मनुष्य ही स्वयं भी जागरुक होकर दुसरे मनुष्य के हितों का भी ध्यान रखेगा। इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र उपने नागरिकों को विशेष रुप से बच्चों को इस तरह से शिक्षित की जाए जहॉतक वे बच्चें अपने अधिकारों के प्रति तथा कर्तव्यों के प्रति जान सके तथा समझने का प्रयास कर सके।

बालक राष्ट्र की धरोहर होते है बालक के विकास से ही राष्ट्र का विकास एवं उन्नति सम्भव होती है। बालकों को अच्छे ढंग से संस्कार मिले तथ भरपूर उन्हे अन्य लोंगों से स्नेह प्राप्त हो सके और बच्चों का उचित शारिरिक एवं मानसिक विकास के लिए उन बच्चों को प्रेम मिले। लेकिन, वास्तविकता यह है कि, इस धरती पर जन्म लेनेवाले प्रत्येक बच्चे को वे सब अधिकार प्राप्त नही हुए जिनका वे बच्चे हकदार है। विकासशील एवं विकसित राष्ट्रो के बालकों को तो मानव को प्राप्त होनेवाली मूलभूत आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए भी संघर्ष करना पडता है। इसके अभाव में बालकों का व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। जिससे बालको एवं बच्चों का विकास नही हो पाता। प्रकृति के प्राप्त क्षमताएँ अविकसित रह जाती है और बच्चों का जीवन व्यर्थ सा हो जाता है। प्रसिध्द दर्शनिक **टी. एच ग्रीन** कहते है कि मानवी जागृती अपनी विकास हेतु स्वतन्त्रता चाहती है, स्वतन्त्रता अधिकारों में निहित है और अधिकार राज्य की मॉग करते है, इसका मतलब यह स्पष्ट होता है की, राज्य का अस्तित्व ही नागरिकों के अधिकारों के रक्षा के लिए होते है।

अन्तरराष्ट्रीय समुदाय में बालकों के प्रतिचेतना 1946 जागृत हुई जब आर्थिक और सामाजिक परिषद के अस्थायी आयोग में इस बात पर बडा जोर दिया कि राष्ट्र संघ के तत्वज्ञान में बनायी गयी जेनेवा घोषणा 1924 में विश्व के सभी लोगों पर व्दितीय विश्व युध्द के समाप्त हो जाने पर भी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जेनेवा घोषणा के आधार पर बालकों के अधिकारो की घोषणा की गयी है।

विषय का उद्देश्य

1. बालकों के अधिकारों का अध्ययन करना है।
2. बालकों को प्राप्त हुए शिक्षा के अधिकारों का अभाव का अध्ययन करना।

VOLUME - IX, ISSUE - IV - OCTOBER - DECEMBER - 2020
AJANTA - ISSN 2277 - 5730 - IMPACT FACTOR - 6.399 (www.sjifactor.com)

रोजगारोन्मुखी हो। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट (1995–96) में यह स्पष्ट निर्देश दिया है की, यदि बालकों का शोषण एवं बाल मजदूरी जैसी कुप्रथाओं पर अंकुश लगाना है तो "मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा" को प्राथमिक स्तर तक ही नही स्कूली स्तर तक लागू करना होगा। स्कूलों में पढनेवाले बालकों को विभिन्न विषयो को पढाने के साथ–साथ ऐसी बाते भी सिखनी चाहिये जिनसे बालको का नैतिक बल बढे। आज नैतिक शिक्षा के साथ–साथ मानव अधिकारों के विषय में जानकारी भी आवश्यक है। वास्तविकता में सब बालकों को मानव अधिकार तब ही मिल सकते है। जब उनकी संख्या पर नियंत्रण करा जाये लेकिन, जनसंख्या बृध्दि के कारण सारे उपाय व्यर्थ हो जाते है। बच्चे को समाज में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ जीने के लिये बालकों को तैयार किया जाना चाहिए। बच्चों का लालन–पालन संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र आदर्शो की भावना खासतौर से शांति, गरिमा, स्वाधीनता, समता और परस्पर एकता की भावना के अनुरुप हो ताकि, बालकों के अधिकारों का संरक्षण निश्चित रुप में हो जाएगा।

बालक के अधिकारों पर अभिसंमय

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा व्दारा बालक के अधिकारों की घोषणा 1959 के अनुसरण में 20 नवम्बर, 1989 को अंगीकृत किया गया और 2 सितम्बर 1990 को लागु कराया गया। बालक के अधिकारों पर अभिसंमय उद्देशिका को छोडकर तीन भागों में विभाजित किया है। इसमें कुल 54 अनुच्छेद है। भाग–1 (अनुच्छेद 1–41) ऐसे अधिकारों से सम्बन्ध रखता है जिन्हें बालक के पास होना चाहिए। भाग–1 (अनच्छेद 42–35) कार्यान्वयन से सरोकार रखता है, भाग–3 (अनुच्छेद 46–54) में बहुत से अन्तिम खण्ड सम्मिलित की गए है।

उद्देशिका

अभिसमय की उद्देशिका में बहुत सी बातों का उल्लेख की गया है जिनमें प्रमुख है की, पक्षकारों मे प्रत्येक देश में, विशेषकर विकासशील देशों में बालको की जीवन की परिस्थितीयों में सुधार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को मान्यता दी है।

बालक (बच्चे) की परिभाषा

अभिसमय के अनुसार 'बालक' से ऐसा मानव अभिप्रेत है जिसकी उम्र 21 वर्ष और वह महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसे बच्चे की श्रेणी में रखा गया है। जब तक की बालक लागू विधी के अधीन, पूर्वतर वयस्कता नही प्राप्त कर लेता है।

बाल श्रमिक का अर्थ यह स्पष्ट होता है कि, वह व्यक्ति 14 वर्ष की आयु पूरी नही की हो। बालश्रम उन्मूलन अधिनियम 1986 में इस उम्र को मान्यता दी है। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या 4 करोड 40 लाख है। भारत के व्यतिरिक्त अफ्रीका में 28% दक्षिण अमेरिका में 26% और एशिया के विभिन्न देशों में 11% प्रतिशत है। भारत के कुल बाल श्रमिकों में 20% संख्या गॉव में निवास करती है। बाल श्रमिकों का मुख्य कारण अभिभावकों की आर्थिक स्थिति होनें के बजह से माता–पिता स्वयं बच्चों से काम करवाने के लिये मजबूर होकर बच्चों को काम को भेजा जाता है। आज वास्तव में बालक दुकानों, होटलों, गुमटियों, कारखानों में या अमीर परिवार के घरों मे काम करतें है, प्रायः उन बच्चों का शोषण किया जाता है। बालिकाओं का यौन शोषण आज चिन्ता का विषय रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालक के अधिकार 1989 को अंगीकार करने के बावजूद भी बालश्रम दिनोंदिन फल–फूला रहा

VOLUME - IX, ISSUE - IV - OCTOBER - DECEMBER - 2020
AJANTA - ISSN 2277 - 5730 - IMPACT FACTOR - 6.399 (www.sjifactor.com)

की, मॉ–बाप पढे लिखे सुशिक्षित होने के बावजूद अपने बच्चों के प्रति जागरुक नही होते। बल्कि, हमारे समाज में लिंग भेद के कारण लडको को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवायी जाती है परन्तु लडकियों को कम पढाया जाता है। लडकियो के खान–पान मे कपडो पर, शिक्षा के व्यवहार में लडकों की अपेक्षा भेदभाव किया जाता है, जो कि बालक के अधिकारों का सरासर उल्लंघन है।

उपाय योजनाएँ

1. बालकों के लिये 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए और बालक के शिक्षा का अमल कठोर होना चाहिए।
2. राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रमिको को शिक्षित करने के प्रयास तो करे ही जाते है, साथ ही स्वयंसेवी संस्थाऐं भी उनको शिक्षित करने में सहयोग दे सकती है।
3. बाल श्रमिकों की समस्या पर विशेष ध्यान देना होगा।
4. आदिवासी बहुत क्षेत्रों में पर्वतीय इलाकों में, शहर की गंदी बस्तियों में रहनेवाले बच्चों की शिक्षा का विशेष प्रबन्ध करना अनिवार्य होना चाहिए।
5. जीन बच्चों की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नही है याने वे बच्चे गरीब है उनके लिए रात्रीकालीन स्कूल की व्यवस्था प्रभावी रुप से करनी चाहिए ताकि बालक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके।

सन्दर्भ

1. अरुण चतुर्वेदी एवं संजय लोढा, "भारत में मानव अधिकार," पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2005
2. अमित सिंह, "मानवाधिकार विधी," पृष्ठ क्र. 1631
3. जय जय राम उपाध्याय, "मानव अधिकार," 1521
4. महेन्द्र कुमार मिश्रा, "भारत में मानव अधिकार," आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2008 पृष्ठ क्र. 136
5. तत्रैव, पृष्ठ क्र. 213
6. तत्रैव, पृष्ठ क्र. 214
7. तत्रैव, पृष्ठ क्र. 215, 216, 217
8. Arts oriented Journal "Human Right" 2015
9. www.jagranjosh.com
10. i.m.wikipedia.org
11. https://www.state .gov/reports/2019
12. www/Unicef.org
13. humanrights.gov.au.report/2019